

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, शुक्रवार फरवरी 10, 2012/माध 21, 1933

No. 2271

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2012/MAGHA 21, 1933

## सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2012

का.आ. 257(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या 972 में का.आ संख्या 1171(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना फा. सं. एनएच-14013/6/2011-पी एंड एम, दिनांक 23 मई, 2011 के प्रकाशन की तारीख को 'बुधवार, 25 अप्रैल, 2011' के स्थान पर 'सोमवार, 23 मई, 2011' पढ़ा जाए।

[फा. सं. एन एच-14013/6/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th February, 2012

S.O. 257(E).—The date of publication of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways' Notification F. No. NH-14013/6/2011-P&M, dated 23rd May, 2011 published *vide* S. O. No. 1171 (E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), No. 972, be read as "Monday, May 23, 2011" for "Wednesday, April 25, 2011".

[F. No. NH-14013/6/2011-P & M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.